संख्या-231/2021/931रासनि/23-1-21-56रासनि/20टीसी1

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद कन्नौज के 02 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1911सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/21-22, दिनांक 21.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार जनपद कन्नौज के 02 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु लैप्स धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 46,40,000/- (रूपये छियालीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र	जनपद कन्नौज कार्य का नाम	शासनादेश सं0-63/2020-681रासनि/23-1-20-51रासनि/20, दि0 17.03.2020 द्वारा स्वीकृत लागत	शासनादेश सं0-135/ 2021-631रासनि/23-1-21-47रासनि/20, दि0 31.03.2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि	लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	4	5	6	7
1	मानीमऊ नेरा मार्ग	248.54	26.46	26.46	26.46
2	तिर्वा से जी0एस0एस0टी0 मार्ग	182.76	19.94	19.94	19.94
		योग			46.40

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रायोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 231/2021/931रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in